कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:- 05963-220249 फैक्स नं0:- 05963-220209

पत्रांक 693 / 121-2 बागेश्वर दिनांक : 13/08/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद बागेश्वर में अंशू से बसकूना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध । **(प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/10063/2015)**

सन्दर्भः- उत्तराखण्ड सरकार का पत्रांक सं0 805 / x-4-15/1(451)/2015 दिनांक 07.सितम्बर.2015।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में अंशू से बसकूना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.8 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.8 है0 ग्राम कर्मी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु रू0 2,27,895.00 मात्र (रू0 दो लाख सत्ताईस हजार आठ सौ पिचानबे मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा जमा किया जा चुका है। (संलग्न-1) साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 2.8 है0 ग्राम कर्मी, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 55 / छब्बीस वन / 2015-16 दिनांक 19.01.2016 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है।(संलग्न-2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	योक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 8,00,000.00 मात्र (रू0 आठ लाख मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No.SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा जमा किया जा चुका है।(संलग्न-1के अनुसार)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायाल के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा रू0 11,83,000.00 मात्र (रू0 ग्यारह लाख तिरासी हजार मात्र) रू0 जमा की जा चुकी है (संलग्न-1के अनुसार)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR No. 6016020240202411480 Dtd 02.02.2024 से जमा करवाली गयी हैं

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।	(चालान की प्रति संलग्न)(संलग्न– 3) एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा रू0 22,10,895.00 मात्र (रू0 बाईस लाख दस हजार आठ सौ पिचानबे मात्र) रू0 जमा की जा चुकी है (संलग्न 01के अनुसार)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBIN 5201605630267852 Dtd 26.05.2016 द्वारा रू0 22,10,895.00 मात्र (रू0 बाईस लाख दस हजार आठ सौ पिचानबे मात्र) रू0 जमा की जा चुकी है (संलग्न 01के अनुसार)।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सहमत है। (संलग्न–4)
8	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। 5
9	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 09 हे सहमत है।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 10 प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

डायरी नं. 3464
दिनांक 27/8/24

संलग्न–चार प्रतियों में

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

6931/2-1-2

प्रति: अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 कपकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग